भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *17
उत्तर देने की तारीख 04 दिसंबर, 2023
सोमवार, 13 अग्रहायण, 1945 (शक)

तमिलनाडु तथा ओडिशा में कौशल विकास केंद्र

***17. श्री सी.एन. अन्नादुरई: श्रीमती मंजु लता मंडल:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और ओडिशा में स्थापित कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) की संख्या कितनी है और उन्हें केंद्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का ब्योरा क्या है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कोई विशिष्ट उपाय किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में पीएमकेवीवाई के विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से नियोजित लोगों की संख्या कितनी है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री सी.एन. अन्नादुरई और श्रीमती मंजु लता मंडल द्वारा तमिलनाडु और ओडिशा राज्य में कौशल विकास केंद्रों के संबंध में दिनांक 04.12.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *17 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के उल्लिखित विवरण।

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से तमिलनाडु और ओडिशा राज्य सहित देश भर में युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों की संख्या और पीएमकेवीवाई, जेएसएस, एनएपीएस और सीटीएस स्कीम के तहत आबंटित/उपयोग की गई निधि अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्तमान में, पीएमकेवीवाई के तहत, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 715 राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) अनुरूप जॉब रोल्स (पाठ्यक्रमों) को मंजूरी दी गई है। तथापि, वर्तमान में 480 जॉब रोल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिनांक 31.10.2023 तक पीएमकेवीवाई के अंतर्गत इन जॉब रोलों में नामांकित उम्मीदवारों की संख्या अनुबंध-II में दी गई है। चूंकि उपर्युक्त अनुबंध II में विवरण बहुत लंबा है, इसलिए इसे मंत्रालय की वेबसाइट https://msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/lok-sabha पर अपलोड किया गया है।

(ग) पीएमकेवीवाई के तहत महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, परिवहन लागत, बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाएं, एक वर्ष के कवरेज के साथ दुर्घटना बीमा और प्रमाणीकरण के उपरांत ट्रैकिंग प्रदान की जा रही हैं। पीएमकेवीवाई के तहत (वर्ष 2015 से दिनांक 31.10.2023 तक) 61 लाख महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) पीएमकेवीवाई के तहत, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण किया जाता है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए हैं, और आरपीएल में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा, संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पर उपलब्ध है। एसआईडी पर उपलब्ध जॉब एक्सचेंज विकल्प, उम्मीदवारों को उपलब्ध जॉब की खोज करने और तदनुसार आवेदन करने में सक्षम बनाने में मदद करता है।

स्किल इंडिया डिजिटल के माध्यम से, उम्मीदवारों को जॉब्स और शिक्षुता के अवसर सुलभ हो सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत तमिलनाडु और ओडिशा राज्य में प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या अनुबंध III में दी गई है। वर्तमान वर्ष के लिए, उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अनुबंध I

दिनांक 04.12.2023 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *17 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों की संख्या और पीएमकेवीवाई, जेएसएस, एनएपीएस और सीटीएस स्कीम के तहत जारी निधि

(निधि करोड़ रुपए में)

राज्य	पीएमकेवीवाई 1.0		पीएमकेवीवाई 2.0		पीएमकेवीवाई 3.0		पीएमकेवीवाई 4.0		जेएसएस		एनएपीएस**		***सीटीएस
	केन्द्रों की संख्या	उपयोग की गई निधि	केन्द्रों की संख्या	उपयोग की गई निधि	केन्द्रों की संख्या	उपयोग की गई निधि	केन्द्रों की संख्या	उपयोग की गई निधि	जेएसएस की संख्या	*जारी निधि	प्रतिष्ठानों की संख्या	जारी निधि	आईटीआई की संख्या
तमिलनाडु	1145	105.55	1071	338.31	241	16.60	122	10.90	9	18.50	1831	21.40	498
ओडिशा	451	33.81	387	255.44	218	10.10	104	7.93	29	56.99	559	0.96	525

* जेएसएस के अंतर्गत: जारी की गई निधि वित्त-वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक है।

** एनएपीएस के अंतर्गत, प्रतिष्ठानों की संख्या वित्त-वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक है और जारी निधि वित्त-वर्ष 2016-17 से 2023-24 (31.10.2023) तक है।

*** सीटीएस के अंतर्गत, आईटीआई को केंद्रीय निधि जारी नहीं है।

अनुबंध III

दिनांक **04.12.2023** को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या ***17** के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत तमिलनाडु और ओडिशा राज्य में प्रमाणित उम्मीदवारों की सूचित नियोजित संख्या।

	तमिलनाडु	ओडिशा
वित्तीय-वर्ष	उम्मीदवारों की नियोजन रिपोर्ट	उम्मीदवारों की नियोजन रिपोर्ट
वित्त-वर्ष -20-21	6,016	3,704
वित्त-वर्ष -21-22	3,865	4,211
वित्त-वर्ष -22-23	1,311	293

******